राजस्थान – सरकार
शिक्षा विभाग
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ 23 ( )स्था/निकाशि/RVRES/2012/327 दिनांक 18-5-12

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषय :– अकादमिक अवकाश ।

महोदय,

सरकारी सेवा में समायोजित RVRES व्याख्याताओं के अकादमिक अवकाश से संबंधित आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर ही अग्रेषित कर इस कार्यालय को स्वीकृति हेतु भेजें ।

पूर्व में 31–12–11 तक के अन्य प्रकार के अवकाशों को अकादमिक अवकाश में परिवर्तित करने हेतु RVRES व्याख्याताओं के आवेदन इस कार्यालय को न भेजें । प्राचार्य अपने स्तर पर ही नियमानुसार उनका निस्तारण करें ।

आगामी सत्र में 1 जुलाई 12 से 31 जनवरी 13 तक 15 अकादमिक अवकाश नियमानुसार दिए जा सकेंगें । (1फरवरी 2013 से 30 अप्रेल 2013 तक) केवल प्रायोगिक परीक्षा एवं Ph.D. Viva-voce लेने के लिए ही अकादमिक अवकाश देय होगा । लेकिन कुल 15 अकादमिक अवकाश से अधिक देय नहीं होगा ।

संलग्न :– प्रपत्र –2

निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ 8(विविध)अकादमी अवकाश/अकाद/निकाशि/03/II/749 दि0: 19 सितम्बर, 2011

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः सेमीनार, सम्मेलन, कार्यशाला आदि में भाग लेने हेतु अकादमी अवकाश स्वीकृत करने बाबत।

संदर्भः इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांकः प. 8(अकादमी अवकाश)अकाद/निकाशि/2002/151 दिनांक 24.01.03, प. 8(अकादमी अवकाश) अकाद/निकाशि/2003/II/481 दि0 15.02.05, 113 दिनांक 07.02.06 एवं 811 दिनांकः 22.07.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः प.1(12)वित्त/प्रकोष्ठ–2/83 दिनांक 01.04.83 एवं प. 1(12)वित्त/प्रकोष्ठ–2/83 दिनांक 24.06.96 के अनुसार **दिनांक 31 जनवरी के पश्चात् प्रायोगिक परीक्षा, पी0एच0डी0 वाइवा को छोड़कर सभी प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों, सेमीनार, सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशाला आदि में भाग लेने पर प्रतिबन्ध है।**

साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(12)वित्त/प्रकोष्ठ–2/83 दिनांक 01.04.83 में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(12)वित्त/प्रकोष्ठ–2/83 दिनांक 13.04.04 के पैरा संख्या 2–सी के अनुसार उपरोक्त गतिविधियों में भाग लेने (सम्पूर्ण भारत में राज्य में हो या राज्य के बाहर) के लिये जाने से पूर्व निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर की अनुमति लेकर ही प्रस्थान करें।

इन सबके पश्चात् भी प्रायः यह देखने में आया है कि प्राचार्य उक्त निर्देशों को अनदेखा कर दिनांक 31 जनवरी के पश्चात् के आयोजनों में भाग लेने के लिये व्याख्याताओं को आवेदन निदेशालय को अग्रेषित कर देते है। प्राचार्यो द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर न तो कोई टिप्पणी अंकित की जाती है और न ही यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त व्याख्याता द्वारा कितने अकादमी अवकाश का उपभोग किया जा चुका है एवं उनके खाते में कितने अवकाश शेष है।

निदेशालय के परिपत्र क्रमांकः एफ 8(अकादमी अवकाश)अकाद/आकाशि/07/596 दि0 29.08.07 को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है। अतः आपको निर्देशानुसार पुनः निर्देशित किया जाता है कि सत्र प्रारम्भ से लेकर 31 जनवरी तक की अवधि के आवेदन ही प्राचार्य की टिप्पणी के साथ अग्रेषित करें। आप द्वारा जो भी आवेदन अग्रेषित हो वह निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र की प्रति संलग्न) में ही आवेदित होना चाहिये तथा उसके साथ कार्यक्रम आयोजक द्वारा भिजवाया गया आमंत्रण पत्र भी संलग्न किया जाना चाहिये।

निदेशालय को आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर एवं आयोजन की तिथि से कम से कम 20 दिवस पूर्व भिजवायें ताकि समय रहते उन्हें इसके लिए अनुमति भिजवाई जा सके। साथ ही अपूर्ण एवं निर्धारित समयोपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र को बिना किसी कार्यवाही के पत्रित कर दिया जावेगा।

संलग्नः निर्धारित प्रपत्र की प्रति

भवदीय,

(सुबीर कुमार)
निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

314

117

कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 7(4)अकाद/आकाशि/अकादमी अवकाश/II/03/371 दिनांक: 31 मार्च, 2009

1. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
3. कुल सचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
4. कुल सचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. कुल सचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. कुल सचिव, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।

विषय: राजकीय महाविद्यालय के व्याख्याताओं को परीक्षा फ्लाईंग एवं अन्य कार्य से लगाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा राजकीय महाविद्यालय के व्याख्याताओं को परीक्षा फ्लाईंग एवं अन्य कार्य के लिए प्राचार्य से सहमति प्राप्त किये बिना ही लगा दिया जाता है। यह प्रक्रिया उचित नहीं है, इससे कॉलेजों के अध्यापन एवं परीक्षा कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है, जो राज्य व छात्रहित में उचित नहीं है।

आप सम्बन्धित प्राचार्य से सहमति प्राप्त कर ही व्याख्याताओं को फ्लाईंग व अन्य कार्यों हेतु लगावें। एक व्याख्याता को एक सत्र में अधिकतम 15 दिवस के लिए ही कर्तव्य (Duty) अवकाश देय होगा। 15 दिवस से अधिक के लिए एक व्याख्याता को किसी भी हाल में कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

क्रमांक एफ 7(4)अकाद/आकाशि/अकादमी अवकाश/II/03/371-72 दिनांक: 31 मार्च, 2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/ कोटा विश्वविद्यालय, कोटा/ महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/ महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर/जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर/मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
4. श्री अशोक कुमार, संयोजक विश्वविद्यालय फ्लाईंग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।

संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर